न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 75 / अपील / 2021 (GCMS No. 2021 / 129)	25.10.2021	04.03.2024

महादेव आ. गोबरीलाल जाति मीणा,
निवासी ग्राम रामपुरिया (धोलका), तहसील एवं जिला बून्दी

– अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती गोबरी बाई पुत्री अम्बालाल पत्नी गोपाल जाति मीणा
   निवासी भैरूजी का करवाला, तहसील के.पाटन, जिला बून्दी
2. श्रीमती मनभर पुत्री अम्बालाल पत्नी हीरालाल जाति मीणा
   निवासी भैरूजी का करवाला, तहसील के.पाटन, जिला बून्दी
3. रामप्रकाश पुत्र अम्बालाल जाति मीणा
   निवासी रामपुरियां (धोलका), तहसील एवं जिला बून्दी।
4. महावीर पुत्र अम्बालाल जाति मीणा
   निवासी रामपुरियां (धोलका), तहसील एवं जिला बून्दी।
5. तहसीलदार बून्दी (जिला बून्दी)

– रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलान्ट की ओर से श्री विनय कुमार सक्सैना, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से श्री राजकुमार गौत्तम, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट सं. 2, 3, 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
रेस्पोडेन्ट सं. 5 की ओर से पेरोकार सरकार।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 959 दिनांक 30.10.2018 ग्राम रामपुरिया(धोलका) से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरण खातेदार अम्बालाल, पुत्र गोबरीलाल एवं पत्नी बरधीबाई के फोत हो जाने पर उनके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

जिला कलक्टर; बून्दी

A6/2

अपील प्रस्तुत होने पर कमांक 75/2021 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2021/129 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। वकील रेस्पो. द्वारा दिनांक 14.11.22 को जवाब प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पेश किया गया।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि ग्राम रामपुरिया (धोलका) में खाता सं. 3 में 39 बीघा 19 बिस्वा, खाता सं. 61 में 3 बीघा 03 बिस्वा एवं खाता सं.62 में 03 बिस्वा भूमि स्थित है, जो अम्बालाल आ. गणेशराम मीणा की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी। खातेदार अम्बालाल का देहान्त हो गया है। उसके तीन पुत्र गोबरीलाल, रामप्रकाश, महावीर एवं दो पुत्रियां गोबरीबाई व मनभर हुई। एक पुत्र गोबरीलाल का भी देहान्त हो गया है, जिसके एक पुत्र महादेव व चार पुत्रियां विमला, कृष्णा, सुनिधी, गायत्री हुई। सहखातेदार अम्बालाल, गोबरीलाल एवं बिरधीबाई की मृत्यु हो जाने पर नामान्तरकरण संख्या 959 दिनांक 30.10.2018 उनके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया। अम्बालाल जाति से मीणा थे जो अनुसूचित जन जाति में आते है, जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। पुरानी हिन्दू विधि शासित होन के आधार पर पुरूष संतान होने पर महिला को विरासत में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। इस विधिक स्थिति के विपरीत जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अम्बालाल की पुत्रियों गोबरी बाई व मनभर के नाम तथा गोबरीलाल की पुत्रियों के नाम फोती नामान्तरकरण खोलने का आदेश दिया गया, जो निरस्तनीय है। हालांकि गोबरीलाल की पुत्रियों विमला, कृष्णा, सुनिधी व गायत्री ने उक्त भूमि में कोई अधिकार नहीं होने से हक त्याग द्वारा महादेव के नाम नामान्तरकरण तस्दीक करवा दिया है, किन्तु गोबरीबाई व मनभर द्वारा उक्त भूमि पर कोई अधिकार नहीं होने पर भी हक त्याग नहीं किया गया। अतः अपीलांट को अधिकार प्राप्त है कि वह गोरबीबाई व मनभर का नाम विलोपित कराकर अपने नाम व रेस्पो.सं. 3 व 4 के नाम नामान्तरकरण तस्दीक कराये। पूर्व में रेस्पो.सं.1 व 2 अपना नाम हटवाने को तैयार थी, किन्तु बाद में दिनांक 10.10.2021 को इन्कार करने पर यह अपील पेश की गई है, जो अवधि मध्य मानी जावे। यदि फिर भी विलम्ब माना जावें तो देरी कन्डोन फरमाई जाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया है। अभिभाषक अपीलांट ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने एवं अपीलांट व रेस्पो.सं. 3 व 4 के पक्ष में तस्दीक करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर सुना जाकर तथा मियाद के बिन्दू पर निर्णय उपरान्त समाधान हो जाने की स्थिति में ही अपील का गुणावगुण पर विनिश्चय किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट द्वारा यह अपील 3 वर्ष की देरी से पेश की है, अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया विलम्ब का कारण संतोषजनक नहीं है, ऐसे में काफी विलम्ब से पेश इस अपील में मियाद कन्डोन किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा पेश अपील अवधि बाधित होने से निरस्त फरमाई जावे। अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 ने बहस के दौरान आगे तर्क प्रस्तुत किये कि इस मामले में जो नामान्तकरण खोला गया है वह विरासत के आधार पर तस्दीक किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक अम्बालाल, उसके पुत्र गोबरीलाल व पत्नी बरधीबाई के फोत हो जाने पर उनके विधिक वारिसान के पक्ष में तस्दीक किये गये अपीलाधीन नामान्तरकरण में कोई विधिक दोष नहीं है। अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 द्वारा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 30.10.2018 की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर दिनांक 20.10.21 को हस्तगत अपील पेश की गई। लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध में RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझते है। अतः अपील अन्दर मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

अपील का परीक्षण गुणावगुणों पर किये जाने पर प्रकट है कि ग्राम रामपुरिया (धोलका) में खाता सं. 3 में 39 बीघा 19 बिस्वा, खाता सं. 61 में 3 बीघा 03 बिस्वा एवं खाता सं.62 में 03 बिस्वा भूमि स्थित है, जो अम्बालाल आ. गणेशराम मीणा की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी। खातेदार अम्बालाल के फोत हो जाने पर उसकी पत्नी बरधीबाई एवं पुत्र गोबरीलाल का विरासत का नामान्तरकरण उनके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया। इस पर अपीलांट को आपत्ति है कि खातेदारान मीणा जाति के होने पर भी उनके विरासत नामान्तरकरण में पुत्रियां का नाम दर्ज कर दिये जाने से उक्त नामान्तरकरण विधिविरूद्ध है, जिसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। जबकि रेस्पो.सं.1 द्वारा विरासत का नामान्तकरण मृतक खातेदारान के विधिक वारिसान के पक्ष में तस्दीक किये जाने से विधिसम्मत होना मानते हुये अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

A 6/4

इस संबंध में विधिक प्रावधानों के अवलोकन से विदित है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम,1956 की धारा (2) उप धारा (2) में स्पष्ट किया गया है कि इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसी जनजाति के सदस्यो को, जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (25) के अर्थ के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति हो, लागू न होगी जब तक कि केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निदिष्ट न कर दे। हमारी जानकारी में किसी भी पक्ष द्वारा ऐसा कोई नोटिफिकेशन पेश नहीं किया गया, जिससे प्रतीत हो कि केन्द्र सरकार ने अन्यथा रूप से निर्देशित कर दिया हो। केन्द्र सरकार द्वारा आदिनांक तक कोई अधिसूचना जारी नहीं किये जाने से अनुसूचित जन जाति में प्रचलित परिपाटी, रीतिरिवाज तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 से पूर्व की कानूनी स्थिति के आधार पर विरासत को तय किया जाना है। अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की मृत्यु होने पर पुरूष उत्तराधिकारी के मौजूद होने की दशा में महिलाओं को सम्पत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक किया गया, जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः 2014(3) DNJ (Raj.) पेज 1050 एवं RLW 2006(2) पेज 695 पर उद्धहरण न्यायिक दृष्टांतों को मद्देनजर रखते हुए उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की जाकर वादग्रस्त आराजी के खातेदार अम्बालाल, गोबरीलाल एवं बरधीबाई का विरासत का तस्दीक किया गया अपीलाधीन नामान्तरकरण दोषपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। फलस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 959 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार रायथल को नियमों के परिप्रेक्ष्य में जांच कर विधिक प्रावधानों की पालना करते हुये नये सिरे से नियमानुसार नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 04.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते